प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961

प्रकाशक

'न्याय सदन'

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

डोरण्डा, राँची

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961

प्रकाशक :

'न्याय सदन'

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

डोरण्डा, राँची

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961

यह अधिनियम निम्नलिखित प्रतिष्ठानों पर लागू होता है–

कारखानों, खान, बागान, या सरकारी प्रतिष्ठान तथा ऐसे सभी प्रतिष्ठान जहाँ घुड़सवारी, कलाबाजी, और अन्य करतबों के प्रदर्शन के लिए लोगों को काम पर रखा जाता है।

कोई दुकान, या प्रतिष्ठान जिसमें कम से कम दस व्यक्ति काम करते हों या पिछले बारह महीनों में किसी भी दिन वहाँ काम करने वालों की संख्या कम से कम दस रही हो।

राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से दो महीने की सूचना देने के पश्चात् इस अधिनियम के सभी या कोई उपबन्ध औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि या अन्य प्रकार के किसी प्रतिष्ठान, या प्रतिष्ठानों के वर्ग पर भी लागू कर सकती है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित परिभाषाएं भी दी गई हैं।

मालिक

प्रतिष्ठान जो सरकार के नियंत्रण में है वहाँ पर निरीक्षण व नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति मालिक कहलाया जाएगा। जहाँ पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गई हो वहाँ पर विभाग का प्रधान अधिकारी मालिक माना जाएगा।

स्थानीय अथॉरिटी के संबंध में वह व्यक्ति मालिक माना जाएगा जो निरीक्षण व नियंत्रण के लिए नियुक्त किया गया हो। जहाँ पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गई हो वहाँ पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मालिक माना जाएगा।

किसी अन्य दशा में, वह व्यक्ति जिसका प्रतिष्ठान के कार्य पर

पूरा नियंत्रण हो, चाहे वह प्रबन्धक हो या प्रबन्ध निदेशक, प्रबन्ध अभिकर्ता, या किसी और नाम से जाना जाता हो, वह मालिक माना जाएगा।

मजदूरी

किसी महिला को मालिक द्वारा उसके काम के बदले दिया जाने वाला पैसा मजदूरी कहलाता है।

इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी आते हैं

1. ऐसे नकद भत्ते (जिनके अन्तर्गत मंहगाई भत्ता और आवास भत्ता हैं) जिनकी महिला हकदार हो।

महंगाई एवं आवास भत्ते से अर्थ उस पैसे से है, जो मालिक द्वारा मजदूरी के अलावा महंगाई एवं मकान के किराए आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया जाता है। या

2. प्रोत्साहन बोनस, या
3. रियायत पर दिए गए खाद्यान्नों या अन्य वस्तुओं का धन मूल्य

परन्तु मजदूरी में कई चीजें नहीं आती हैं जैसे

1. कोई भी बोनस सिवाए प्रोत्साहन बोनस के।
2. समय से ज्यादा काम करने के लिए दिया जाने वाला पैसा (अतिकाल/ओवरटाइम), जुर्माने के लिए की गई कटौती या भुगतान।
3. कोई अंशदान जो मालिक द्वारा पेंशन फंड या भविष्य फंड (निधि) में जमा किया गया है या किया जायेगा या महिलाओं के फायदे के लिए किया गया हो।
4. कोई उपदान (ग्रेच्युटी) जो सेवा की समाप्ति पर दिया जाता है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित समय में महिलाओं से

काम कराने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

1. कोई भी मालिक किसी महिला को बच्चे के जन्म से या गर्भपात होने के छः सप्ताह तक काम नहीं करा सकता है। तथा महिला भी इस दौरान कहीं काम नहीं करेगी।

2. यदि कोई भी गर्भवती महिला, मालिक से निवेदन करती है तो मालिक गर्भवती महिला से ऐसा कोई भी काम नहीं करवा सकता है, जो कठोर प्रकृति का हो, या जिसमें ज्यादा देर तक खड़ा रहना पड़ता हो, या जिससे उसकी गर्भावस्था या भ्रूण के विकास पर बुरा असर पड़ता हो।

प्रसूति प्रसुविधा के भुगतान का अधिकार

प्रत्येक महिला बच्चे के जन्म के एक दिन पहले से लेकर जब तक वह इस अधिनियम के अन्तर्गत छुट्टी पर रहती है प्रसूति प्रसुविध ा की हकदार होगी, जो उसे मालिक द्वारा दी जाएगी।

प्रसूति प्रसुविधा उस महिला को पिछले तीन महीनों में मिली मजदूरी के औसत के अनुसार तय की जाएगी।

महिला ज्यादा से ज्यादा बारह सप्ताह, जिसमें छः सप्ताह बच्चे के जन्म से पहले हो, उसके लिए ही प्रसूति लाभ ले सकती है।

कोई भी महिला प्रसूति प्रसुविधा की हकदार तभी होगी जब उसने बच्चे के जन्म के दिन के पहले बारह महीनों में कम से कम अस्सी दिन उसी मालिक के यहाँ काम किया हो जिससे वह प्रसूति प्रसुविधा की मांग कर रही है।

अगर किसी महिला की मृत्यु बच्चे को जन्म देते समय या उसके तुरन्त बाद होती है, तो वह उस दिन तक प्रसूति प्रसुविधा की हकदार होगी। लेकिन इस दौरान अगर बच्चे की भी मृत्यु हो जाती

है बच्चे की मृत्यु के दिन तक महिला प्रसूति प्रसुविधा की हकदार होगी।

प्रसूति प्रसुविधा के दावे की प्रक्रिया और उसका भुगतान

प्रसूति प्रसुविधा की हकदार महिला लिखित में अपने मालिक से प्रसूति प्रसुविधा के भुगतान की मांग कर सकती है अथवा अपने दावे में उसे व्यक्ति का नाम लिख सकती है, जिसे यह भुगतान किया जा सकता है। उसे यह भी लिखित में देना होगा कि इस दौरान वह कहीं और काम नहीं करेगी।

अगर यह दावा गर्भावस्था के दौरान किया जाता है, तो उसे अपनी छुट्टी की तारीख जो बच्चे के जन्म की सम्भावित तारीख से छः सप्ताह पहले की नहीं हो सकती, दावे में बताना होगा।

यदि कोई गर्भवती महिला ऐसी सूचना नहीं दे पाती है, तो वह बच्चे के जन्म होने के बाद जितनी जल्दी हो सके सूचना देगी अगर ऐसी कोई जानकारी प्रसूति प्रसुविधा की हकदार महिला द्वारा नहीं दी गई हो, तब भी निरीक्षक उसके भुगतान का आदेश दे सकता है।

सूचना के मिलने पर मालिक महिला को उस अवधि के लिए अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान करेगा।

प्रसूति प्रसुविधा की आधी रकम बच्चे के जन्म के पहले और आधी रकम बच्चे के जन्म के 48 घन्टे के अन्दर, सम्बन्धित कागजात/प्रमाण पत्र दिखाने पर मालिक द्वारा दी जाएगी।

किसी महिला की मृत्यु होने पर प्रसूति प्रसुविधा का भुगतान

प्रसूति प्रसुविधा की हकदार महिला की मृत्यु होने पर इसका

भुगतान उसके द्वारा नामित व्यक्ति को किया जाएगा। अथवा उसके वारिस को दिया जाएगा।

चिकित्सीय बोनस का भुगतान

अगर मालिक किसी प्रसूति प्रसुविधा की हकदार महिला को उसके बच्चे के जन्म से पहले और उसके बाद मुफ्त चिकित्सीय सुविध ा नहीं देता है, तो वह उस महिला को 250 रूपये देगा।

गर्भपात आदि के दौरान छुट्टी

अगर किसी महिला का गर्भपात हो जाता है, तो वह इससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र दिखाकर प्रसूति प्रसुविधा के अन्तर्गत गर्भपात के दिन से छः सप्ताह की छुट्टी और मजदूरी की हकदार हो जाएगी।

ऐसी महिला जो –

- ❖ गर्भावस्था,
- ❖ बच्चे के जन्म से सम्बन्धित
- ❖ समय से पहले शिशु के जन्म, या
- ❖ गर्भपात

से होने वाली बीमारियों से पीड़ित हो तो वह इस अधिनियम के अन्तर्गत मिलने वाली छुट्टी के अलावा अधिकतम एक महीने की छुट्टी पाने की हकदार होगी।

बच्चे को दूध पिलाने के लिए छुट्टी

बच्चे के जन्म के बाद उस महिला को अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए, काम के दौरान दो बार का समय मिलेगा जो नियमित आराम के समय के अलावा होगा। यह सुविध ा बच्चे के 15 महीने के होने तक मिलेगी।

गर्भावस्था के कारण अनुपस्थिति के दौरान सेवा मुक्त

इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई महिला अपने काम से गर्भावस्था के कारण अनुपस्थित रहती है, तो इसके कारण अथवा इस दौरान मालिक उसको सेवामुक्त नहीं कर सकता।

अगर फिर भी उसे सेवा मुक्त कर दिया जाता है, तो वह सेवा मुक्ति के 60 दिनों के अन्दर सम्बन्धित अधिकारी के पास दावा पेश कर सकती है।

सामान्य तौर पर गर्भावस्था के दौरान सेवा मुक्त करने पर भी महिला प्रसूति और चिकित्सीय बोनस की हकदार होगी।

परन्तु जहां पर महिला को सेवा मुक्त उसके द्वारा किसी गलत या बुरे व्यवहार के कारण किया गया हो, वहाँ मालिक महिला को लिखित आदेश द्वारा प्रसूति प्रसुविधा या चिकित्सीय बोनस या दोनों से वंचित कर सकता है।

कुछ मामलों में मजदूरी में कटौती न किया जाना

प्रसूति प्रसुविधा की हकदार महिला की मजदूरी में से प्रसूति प्रसुविधा के आधार पर उसे दिए गए काम की प्रकृति, अथवा उसे शिशु के पोषण के लिए मिलने वाले विश्राम के कारण मजदूरी में कोई कटौती नहीं की जाएगी।

प्रसूति प्रसुविधा का न मिलना

यदि कोई महिला प्रसूति प्रसुविधा के अन्तर्गत मिलने वाली छुट्टी के समय किसी अन्य प्रतिष्ठान में काम करती है, तो उसका प्रसूति प्रसुविधा का दावा समाप्त हो जाएगा।

मालिक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर सजा–

प्रसूति प्रसुविधा का भुगतान न किए जाने पर अथवा किसी महिला को इस दौरान सेवा मुक्त करने पर, मालिक को तीन महीने से लेकर एक साल तक की जेल या 2000 रूपये से लेकर 5000 रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।

निरीक्षकों की नियुक्ति

इस अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए कार्यों के लिए सरकार अधिकारियों की नियुक्ति करेगी।

निरीक्षकों के कर्तव्य एवं शक्तियाँ

- ❖ किसी स्थानीय या लोक प्राधिकारी, अन्य स्थान जहां पर महिलाएं काम करती हों वहाँ जाकर रजिस्टर, रिकार्ड आदि का निरीक्षण करना।
- ❖ वहाँ काम करने वाले किसी व्यक्ति की जाँच करना।
- ❖ मालिक से वहाँ काम करने वाले लोगों का नाम, पता, उनके वेतन, आवेदन, नोटिस आदि के बारे में जानकारी लेना।
- ❖ किसी रजिस्टर, रिकार्ड, नोटिस आदि की कॉपी लेना।
- ❖ यदि किसी महिला को प्रसूति लाभ या कोई अन्य रकम जिसकी वह हकदार है, नहीं मिलती है, या उसका मालिक इस अधिनियम के अन्तर्गत मिलने वाली छुट्‌टी के कारण अथवा इस दौरान उसे सेवा मुक्त कर देता है, तो वह निरीक्षक को आवेदन देकर शिकायत कर सकती है। जो प्रसूति लाभ देने का आदेश दे सकता है सेवा मुक्त होने की दशा में जो वह उचित समझे वह आदेश दे सकता है।

कोई व्यक्ति जो निरीक्षक के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह 30 दिन के अन्दर नियुक्त किये गए अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। ऐसे अधिकारी का आदेश अन्तिम आदेश होगा।

अगर कोई व्यक्ति निरीक्षक को रजिस्टर अथवा रिकार्ड नहीं देता है या किसी व्यक्ति को निरीक्षक के समक्ष आने से रोकता है, तो उसे एक वर्ष तक की जेल व 5000 रूपये तक का जुर्माना भी हो सकता है।

महिला अपने नियोजक से 250 रूपये के चिकित्सीय बोनस पाने की हकदार है।

प्रकाशक

'न्याय सदन'

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

डोरण्डा, राँची

फोन : 0651–2481520, 2482392 फैक्स : 0651–2482397

ई–मेल : jhalsaranchi@gmail.com

वेबसाइट : http://www.jhalsa.nic.in